GCMS- 2022/25

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी —घड़साना— मुकाम कैम्प— 6 GD ST

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता

मुकदमा नं. 603/2022

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
30/05/2022	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प 3 (2) राज–6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार —घड़साना— के पत्रांक राजस्व/2021/ दिनांक 17/5/2022 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम —25 AS— ग्राम पंचायत —6 SD ST— पटवार मण्डल —9 GD ST— भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त नं.गा.घड़साना तहसील —घड़साना— में प्रचलित रास्ते का राजस्व रेकर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता —चक 105/62 कि.न. 5/०17, 6/०17, 15/०17, 16/०17 =.0688— से ———— तक जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौडाई 12 फुट है। यह रास्ता ग्राम —25 AS— की भूमि खसरा नम्बर —105/62 कि.न. 5/०17, 6/०17, 15/०17, 16/०17 —.0688 है.— में से होर गुजरता है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौडाई 12 फुट है। ग्राम पंचायत —6SDST—की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सलग्न है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटेड लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है ओर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ओर ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार —घड़साना— के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारन की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को	

	गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। सलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम —25 AS—— ग्रामपंचायत ——6 DD—— पटवार मण्डल ——9 DD——— भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त नई मण्डी घड़साना तहसील —घड़साना की भूमि खसरा नम्बर 105/62 में से 5/.97———हैक्टर, खसरा नम्बर 6/.017— में से 15/.017—हैक्टर, खसरा नम्बर 16/.017— में से ———हैक्टर, खसरा नम्बर ——— में से ———हैक्टर, खसरा नम्बर ——— में से ———हैक्टर, खसरा नम्बर ——— में से ———हैक्टर, खसरा नम्बर ——— में से ———हैक्टर भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते कें रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार —घड़साना— द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार —घड़साना— को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी घड़साना उपखण्ड अधिकारी घड़साना	

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021